राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, दिनांक : मई 14, 2018

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्या 9) की धारा 4 की उप–धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, नीचे वर्णित सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित प्राधिकारियों को उनके सामने स्तंभ (3) में विर्निदिष्ट क्षेत्र (क्षेत्रीय अधिकारिता) के लिए अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करती है। सारणी के स्तंभ (2) में उल्लेखित अपीलीय प्राधिकारी राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 109ए के उप–नियम (1) के खण्ड (ए) तथा (बी) में उल्लेखित अपीलीय प्राधिकारी की समस्त शक्तियों एवं समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

सारणी

क्र. स	अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	अधिकारिता
1	2	3
1	अपीलीय प्राधिकारी, राज्य कर, जयपुर–प्रथम, जयपुर	1. निम्नलिखित वृतों के क्षेत्रों में कारबार का मुख्य स्थान रखने वाले समस्त व्यवहारी एवं इन क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों से संबंधित सभी अपीलें:– (क) वृत ए, जयपुर। (ख) वृत जी, जयपुर। (ग) वृत आई, जयपुर। (घ) वृत जे, जयपुर। (ड़) वृत एल, जयपुर। (च) वृत पी, जयपुर। 2. राज्य में निवास नहीं करने वाले व्यक्तियों/व्यवहारियों से संबंधित सभी अपीलें।
2	अपीलीय प्राधिकारी, राज्य कर, जयपुर–द्वितीय, जयपुर	1. निम्नलिखित वृतों के क्षेत्रों में कारबार का मुख्य स्थान रखने वाले समस्त व्यवहारी एवं इन क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों से संबंधित सभी अपीलें:– (क) वृत बी, जयपुर। (ख) वृत डी, जयपुर। (ग) वृत एच, जयपुर। (घ) वृत एन, जयपुर। (ड़) वृत ओ, जयपुर। 2. विशेष वृत, राजस्थान, जयपुर से संबंधित व्यवहारियों की सभी अपीलें।

3	अपीलीय प्राधिकारी, राज्य कर, जयपुर–तृतीय, जयपुर	निम्नलिखित वृतों एवं जिलों के क्षेत्रों में कारबार का मुख्य स्थान रखने वाले समस्त व्यवहारी एवं इन क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों से संबंधित सभी अपीलें:– (क) वृत सी, जयपुर। (ख) वृत ई, जयपुर। (ग) वृत एफ, जयपुर। (घ) वृत के, जयपुर। (ड़) वृत एम, जयपुर। (च) वृत क्यू, जयपुर। (छ) राजस्व जिला दौसा एवं सीकर।
4	अपीलीय प्राधिकारी, राज्य कर, अलवर	राजस्व जिला अलवर के क्षेत्र में कारबार का मुख्य स्थान रखने वाले समस्त व्यवहारी एवं इस जिले में निवास करने वाले व्यक्तियों से संबंधित सभी अपीलें।
5	अपीलीय प्राधिकारी, राज्य कर, अजमेर	निम्नलिखित जिलों के क्षेत्र में कारबार का मुख्य स्थान रखने वाले समस्त व्यवहारी एवं इस जिले में निवास करने वाले व्यक्तियों से संबंधित सभी अपीलें:– (क) राजस्व जिला अजमेर। (ख) राजस्व जिला नागौर। (ग) राजस्व जिला कोटा। (घ) राजस्व जिला बूंदी। (ड़) राजस्व जिला बारां। (च) राजस्व जिला झालावाड़। (छ) राजस्व जिला टोंक। (ज) राजस्व जिला भीलवाड़ा।
6	अपीलीय प्राधिकारी, राज्य कर, जोधपुर	निम्नलिखित वृतों एवं जिलों के क्षेत्र में कारबार का मुख्य स्थान रखने वाले समस्त व्यवहारी एवं इस जिले में निवास करने वाले व्यक्तियों से संबंधित सभी अपीलें:– (क) वृत्त ए, बी, सी, डी, ई एवं एफ जोधपुर। (ख) राजस्व जिला बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालोर एवं सिरोही।
7	अपीलीय प्राधिकारी, राज्य कर, भरतपुर	निम्नलिखित जिलों के क्षेत्र में कारबार का मुख्य स्थान रखने वाले समस्त व्यवहारी एवं इस जिले में निवास करने वाले व्यक्तियों से संबंधित सभी अपीलें:– (क) राजस्व जिला भरतपुर। (ख) राजस्व जिला धौलपुर। (ग) राजस्व जिला सवाईमाधोपुर। (घ) राजस्व जिला करौली।
8	अपीलीय प्राधिकारी, राज्य कर, उदयपुर	निम्नलिखित जिलों के क्षेत्र में कारबार का मुख्य स्थान रखने वाले समस्त व्यवहारी एवं इस जिले में निवास करने वाले व्यक्तियों से संबंधित सभी अपीलें:– (क) राजस्व जिला उदयपुर।

		(ख) राजस्व जिला बांसवाड़ा। (ग) राजस्व जिला डूंगरपुर। (घ) राजस्व जिला चित्तौड़गढ़। (ड़) राजस्व जिला प्रतापगढ़। (च) राजस्व जिला राजसमंद।
9	अपीलीय प्राधिकारी, राज्य कर, बीकानेर	निम्नलिखित जिलों के क्षेत्र में कारबार का मुख्य स्थान रखने वाले समस्त व्यवहारी एवं इस जिले में निवास करने वाले व्यक्तियों से संबंधित सभी अपीलें:– (क) राजस्व जिला बीकानेर। (ख) राजस्व जिला चुरू। (ग) राजस्व जिला झुंझुनू। (घ) राजस्व जिला हनुमानगढ़। (ड़) राजस्व जिला श्रीगंगानगर।

यह अधिसूचना तुरन्त प्रभाव से लागू होगी।

[एफ.12(30)वित्त/कर/2018–19]

राज्यपाल की आज्ञा से,

(शंकर लाल कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को सॉफ्ट कॉपी सी.डी. में संलग्न प्रेषित कर लेख है कि इस अधिसूचना का आज के असाधारण राजपत्र के भाग–4 (ग) में प्रकाशन करावें। यह भी लेख है कि इस अधिसूचना की 10 प्रति इस विभाग को तथा 10 प्रति मय बिल के आयुक्त, राज्य कर, राजस्थान, जयपुर को भेजें। कृपया सी.डी. में उपलब्ध सॉफ्ट कॉपी का संलग्न हस्ताक्षरित अधिसूचना से मिलान कर प्रकाशन करावें।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (वित्त मंत्री) महोदया।
3. सचिव, भारत सरकार एवं सचिव, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल सचिवालय, नई दिल्ली।
4. आयुक्त, राज्य कर, राजस्थान, जयपुर ।
5. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग।
10. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस अधिसूचना को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड़ करावें।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव